फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री भगवतीलाल **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 123/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 05.05.2023	

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प जेवाणा में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी व राजपेरोकार उपस्थित। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त, शा.फा. रहे। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर रिपोर्ट को ही बहस माना जाकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम नाथु पिता कालु बलाई गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु सहमति व्यक्त की है। प्रार्थी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी नकल, आधार कार्ड की प्रति, 50/– रूपये स्टाम्प पर शपथ पत्र, ग्राम पंचायत जेवाणा द्वारा प्रमाण पत्र दिनांक 14.12.2021 की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में प्रार्थी का नाम भगवतीलाल पिता कालु सालवी अंकित है। राजपेरोकार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में नाथु पिता कालु बलाई एवं भगवतीलाल पिता कालु सालवी दोनों एक ही व्यक्ति होना बताकर नाम संशोधन में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी नाथु एवं भगवतीलाल दोनो एक ही व्यक्ति होना जाहिर होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा की आराजी नम्बर 2145, 2731 किता 2 रकबा 0.6152 हेक्टेयर भूमि में खातेदार नाथु पिता कालु बलाई के बजाय भगवतीलाल उर्फ नाथु पिता कालु सालवी संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 13:58:23 IST
Reason: SelfAttested